न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 243/2021 तारीख रजू:– 18.06.2021

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

1. अंगूरी पुत्री रामखिलाडी
2. दुलारी | पुत्रीगण रामखिलाडी
3. पुष्पा
4. ममता
5. मंगली धर्मपत्नि रामखिलाडी
6. किशोरी पुत्र नथोली
7. राधेश्याम पुत्र नथोली

जातियान माली निवासी हाडौली तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————— सायलान

बनाम

1. विशन | पिसरान जगन जाति माली निवासी हाडौली
2. भूरीसिंह | तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. सहायक अभियन्ता(ए–II) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हिण्डौन सिटी ज़िला करौली
4. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली———————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान
2. श्री उमेश दत्तात्रेय एडवोकेट गैरसायल सं.1,2
3. श्री संजीव कुमार सिंघल गै० सा० सं० 3

निर्णय

दिनांक :– 26-7-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा बाबत् तकास्मा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है,जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1156 रकबा 0.25 है0, 1165 रकबा 0.50 है0, 1246 रकबा 0.54 है0, ग्राम

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

गाजीजी तहसील हिण्डौन में स्थित है, जिसमें सायलान 1/2 हिस्से के तथा गैरसायलान नं01 व 2 हि01/2 के खातेदार काश्तकार हैं तथा इसी अनुसार काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र का सायलान एवं गैरसायल नं01 व 2 ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा सायलान एवं गैरसायल सं01 व 2 अपने अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उसी अनुसार सायलान एवं गैरसायलान नं01 व 2 अपने अपने हिस्से की फसल को दरोह करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार उक्त आराजीयात का मौके पर सायलान एवं गैरसायल नं0 1 व 2 के मध्य बाहमी बंटवारा हो रहा है। जिसमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन रिकार्ड में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण गैरसायल सं01 व 2 के मन में हमेशा सायलान की कब्जे व हिस्से की भूमि पर कब्जा कर हडपने की रहती है। इसलिए गैरसायल नं01 व 2 ने गैरसायल सं03 से साज कर लिया है और सायलान के हिस्से व कब्जे की भूमि में जबरन गैरसायल सं03 से बिजली का कनैक्शन लगवाने की फिराक में हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि सायलान सीधे–साधे व्यक्ति हैं तथा गैरसायल नं01 व 2 झगडालू तथा उदण्ड प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो आये दिन सायलान को उसके हिस्से की भूमि में परेशान करते रहते हैं। घटना दिनांक 16.06.2021 की है कि सायलान अपने कब्जे व हिस्से की भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि सार संभाल कर रहे थे कि मौके पर गैरसायल नं01 व 2 सायलान के हिस्से व कब्जे की भूमि में बिजली का कनैक्शन लगवाने के लिए गैरसायल सं03 व उनके कर्मचारियों के साथ मौके पर आये और सायलान के हिस्से की भूमि में बिजली कनैक्शन लगाने लगे तो सायलान ने गैरसायल नं03 से उसकी भूमि पर बिजली कनैक्शन लगाने से मना कर दिया। सायलान ने गैरसायल सं01 व 2 से कहा कि तुम मेरे हिस्से की जमीन में बिजली का कनैक्शन क्यों लगवा रहे हो, तुम तुम्हारे हिस्से की जमीन में बिजली का कनैक्शन क्यों नहीं लगवाते हो, सायलान द्वारा इतना कहने पर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायल सं01 व 2 नाराज हो गये तथा झगडा करने पर उतारू हो गये। गांव के लोगों ने उनके मध्य बडी मुश्किल से बीच बचाव कराया, सायलान ने ऐसा करने के लिए गैरसायल नं01 व 2 से मना किया और सायलान ने गैरसायल नं01 व 2 से कहा कि तहसील कार्यालय में चलकर अपने अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करा लेते हैं। मौके पर तो बंटवारा हो रहा है लेकिन गैरसायल सं01 व 2 ने बंटवारा करने से इंकार करते हुए एलानियाँ धमकी देकर गये कि आज तो तुम्हें गांव वालों ने बचा लिया है आयन्दा हम तुम्हें तुम्हारे कब्जे की भूमि से जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल कर स्वंय कब्जा कर उसमें बिजली का कनैक्शन लगवायेंगे। सायलान ने गैरसायल सं01 व 2 से ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन उक्त सभी गैरसायलान मानने को तैयार नहीं हैं और गैरसायल सं01 व 2 तथा गैरसायल सं03 के कर्मचारी वहाँ से चले गये। यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा कार्यवाही में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिए सायलान को गैरसायलान के खिलाफ यह प्रार्थना पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं करने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजीयात खसरा नम्बर 1156 रकबा 0.25 है0, 1165 रकबा 0.50 है0, 1246 रकबा 0.54 है0, ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन में सायलान के हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें तथा सायलान को उसके हिस्से 1/2 से ना तो स्वंय बेदखल करें ना ही किसी अन्य से करावें तथा सायलान के हिस्से की भूमि में बिजली का कनैक्शन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नहीं लगवाऐं तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें, जिससे सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। सायलान को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि में शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने दें। मौके एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं01 व 2 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दावा पेश करना स्वीकार है, लेकिन सायलान को सफलता मिलने की कतई उम्मीद नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। बल्कि सही स्थिति यह है कि भूरीसिंह विशन गैरसायल सं01 व 2 का 1/4,1/4 हिस्सा है तथा रामखिलाडी की बेटी पुष्पा, ममता, मंगती का 1/30,1/30,हिस्सा है। किशोरी पुत्र नथोली का 1/6 हिस्सा व राधेश्याम पुत्र नथोली का 1/6 हिस्सा है। सायलान ने खसरा नम्बर 1245 गलत अंकित कर दिया है, जबकि खसरा नम्बर 1249 है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं03 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। सायलान ने इस मद में यह तो अंकित कर दिया है कि बाहमी बंटवारा हो रहा है। किन्तु पूरा विवरण नहीं दिया है। बाहमी बंटवारा किस तरह से हो रहा है। जबकि सही बात मौके पर बाहमी बंटवारा 50 साल से इसी प्रकार हो रहा है कि खसरा नम्बर 1165 में 1/2 पश्चिम वाला गैरसायल सं01 व 2 का, खसरा नम्बर 1249 के 9 एयर पश्चिम वाला सायलान व अन्य का है एवं खसरा नम्बर 1165 व 1149 के बीच में एक बीघा गैरसायल सं01 व 2 व शेष 20 एयर जमीन सायलान व अन्य की है। खसरा नम्बर 1156 के दक्षिण की तरफा 1/2, गैरसायल सं01 व 2 का उत्तर की तरफ वाला सायला का हिस्सा है। इस तरह से मौके पर बंटवारा हो रहा है तथा इसी प्रकार कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 1165 में गैरसायल सं01 व 2 का घूडा लकडी व बहुत पुराना आम का पेड है। गैरसायल सं01 व 2 ने कोई

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

राज नहीं किया है, बल्कि अपने कब्जे की जमीन में कनैक्शन लेना चाहते है। जिसमें सायलान को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं04 कतई गलत है, स्वीकार नहीं है। तारीख 16.06.2021 को कोई भी घटना नहीं हुई बल्कि राजीखुशी और प्रेमपूर्वक बिजली कनैक्शन कराना चाहते हैं। सायलान बिना बात के झगडा करना चाहते हैं। बिजली कनैक्शन से उनको कोई नुकसान नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। गैरसायल सं01 व 2 को पाबन्द फरमाये जाने से गैरसायलान को क्षति है, जबकि सायलान को पाबन्द फरमाये जाने से कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है। इस तरह सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में ना होकर गैरसायल सं01 व 2 के पक्ष में बखूबी साबित है।

विशेष विवरण :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि सायलान ने मौके पर बाहमी तकास्मा होने की स्पष्ट विवरण नहीं दिया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि जहॉ तक बिजली कनैक्शन का सवाल है, जहॉ गैरसायलान का कब्जा है, उसी में कनैक्शन लेना चाहते हैं। उसमें सायलान को कोई नुकसान नहीं है, परेशानी नहीं है, ना ही कोई आर्थिक नुकसान है व अपने कब्जे व हिस्से में कनैक्शन लेना चाहते हैं। हम गैरसायलान को कोई एतराज नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि बाहमी बंटवारा कब्जे के हिसाब से बंटवारा करने में गैरसायल सं01व 2 को कोई एतराज नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि गैरसायलान की बिजली कनैक्शन नहीं होने से फसल बर्बाद हो रही है तथा काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। फसल सूख जाती है। इसलिए गैरसायल सं01 व 2 को अपने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कब्जे की भूमि पर बाहमी बंटवारा से प्राप्त भूमि पर बिजली कनैक्शन लगाना अति आवश्यक है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2071–74 पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति विधुत कनैक्शन फाईल मय दस्तावेज पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1156 रकबा 0.25 है0, 1165 रकबा 0.50 है0, 1249 रकबा 0.54 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ की खातेदारी अंगूरी पुत्री रामखिलाडी हि01/30, किशोरी पुत्र नथोली हि01/6, दुलारी पुत्री रामखिलाडी हि01/30, पुष्पा पुत्री रामखिलाडी हि01/30, भूरीसिंह पुत्र जगन हि01/4, मंगली पत्नि स्वं0 रामखिलाडी हि01/30, ममता पुत्री रामखिलाडी हि01/30, राधेश्याम पुत्र नथोली हि01/6, विशन पुत्र जगन हि01/4 जातियान माली सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि मुताविक राजस्व रिकार्ड विवादित आराजी खसरा नम्बर 1156 रकबा 0.25 है0, 1165 रकबा 0.50 है0, 1249 रकबा 0.54 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ में सायलान हिस्सा 1/2 एवं गैरसायल सं01 व 2 बहिस्सा बराबर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिस्सा 1/2 के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात में रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण उनका संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन पक्षकारों के मध्य संयुक्त खातेदारी की भूमि का विधिवत बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो उससे गैरसायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। सायलान के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि गैरसायलान के द्वारा सायलान को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल किया जा रहा हो अथवा उनके द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा हो। बल्कि गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है, जिनको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीयं क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1156 रकबा 0.25 है0, 1165 रकबा 0.50 है0, 1249 रकबा 0.54 है0कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 है0वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 18.06.2021 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश विदड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 26-7-21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली